

**कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
शासकीय स्वशासी धनवंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन।**

क्रमांक/2023/स्थापना/1087 -190

दिनांक: 27/4/2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में लैबोरेटरी सहायक/लैब असिस्टेन्ट (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 19500-62000 (एल-4) एवं उस पर देय प्रथलित महगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र.0	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23591159	पवन कुमार माहेश्वरी पिता श्री महेश माहेश्वरी पता— खामखेडा वेजनाथ तहसील आष्टा जिला सीहोर म.प्र.	UR	64.21
2	23561473	सुनील सांवरिया पिता श्री दुर्गा शंकर पता— बालाजी का बाग ताल जिला रत्नाम म.प्र०	SC	64.21
3	23560945	अमित काबरा पिता श्री रामकृष्ण काबरा खेडापति महोल्ला पार्ड नं 13 कुम्भराज जिला गुना तहसील कम्भराज म.प्र.	EWS	63.15
4	23560078	छाया मालवीय पल्नी श्री मनोष प्रजापति पता— जैन मंदिर के पास, 203 न्यू बस स्टेंड सीहोर तहसील जिला सीहोर म.प्र.	DBC	63.15
5	23560830	रवि मण्डलोई पिता श्री नहार सिंह मण्डलोई पता— 203 द्वाराकापुरी जिला इन्दौर म.प्र.	ST	63.15
6	23593092	सविता सैन पति श्री कौशिक कुमार घोष पता वार्ड नं 10 बिजूरी तहसील कोतमा जिला अनुपपुर म.प्र.	UR	62.1
7	23560383	भूपेन्द्र शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा पता— म.नं 77 कढ़ेया चंबर, लालोई तहसील बैरसिया जिला भोपाल म.प्र.	EWS	61.05

**उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-**

- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि रुपयेंड के रूप में देय होगी।
- उक्त नियुक्त अभ्यर्थीयों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रमाव से समाप्त की जावेगी।
- नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मैडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त धिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समर्पण जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवाये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हे एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित रहतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में जारी नियमों का पालन किया गया है।

18. किसी भी प्रकार की टक्कण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० जे पी चौरसिया)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृक्षमांक / 2023 / स्थापना / १८६७ - १९००

दिनांक: २७/५/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मानो मंत्री जी मोप्र० शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव मोप्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संघालनालय आयुष मोप्र० भोपाल।
- 4- सभागायुक्त, सभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 6- सबधित श्री / श्रीमती / सुश्री .....
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
शासकीय स्वशासी धनवंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन।**

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 1807 — 30

दिनांक: 27 / 4 / 2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अहंताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में रटाफ नर्स (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 28700—91300 (एल-7) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :—

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/ संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23594039	ऋषि गोयल पिता श्री अनुल गोयल पता— वैद्य कॉलोनी गगपुर सिटी सवाईमाधोपरी राजस्थान-322201	UR	65.44
2	23593521	हेमलता मेवाड़ा पिता श्री रामरतन मेवाड़ा पता— होली का थाक, भादसी, तहसील आसीद जिला भीलवाड़ा राजस्थान वर्तमान निवास 4-बी/7 मनभावन सदन तुलसी भवन कोयला फाटक हीरामिल रोड उज्जैन म0प्र0	UR	61.46
3	23584821	सदीप वर्मा पिता श्री मेरुलाल वर्मा पता— देवनगर ए रेल्वे स्टेशन के सामने सागानेर जयपुर राजस्थान वर्तमान पता गोकुलधाम सोसायटी विपलोदा रोड जावरा जिला रतलाम म0प्र0	UR	61.21
4	23558354	अनुसूर्वा पाटीदार पिता श्री राधेश्याम पाटीदार पता— म.न. 122 वार्ड न. 06 रावटी मंदसीर म0प्र0	UR	60.15
5	23551945	अनुल रोनावा पिता श्री संदीप सोनावा पता— नेहरू वार्ड न. 03 तहसील सिंगोली ग्राम सिंगोली नीमच म0प्र0	UR	59.09
6	23569223	शीलेन्द्र शर्मा, पिता श्री सत्यनारायण शर्मा पता— ग्राम बहेरिया उर्फ रुपनगर तहसील इसागढ़ जिला अशोकनगर म0प्र0	UR	58.74
7	23584586	रजनी बाला प्रज्ञापति, पिता श्री लक्ष्मीराम प्रज्ञापति पता— ग्राम अहमदपुर खैगांव तहसील+जिला खण्डवा म0प्र0	OBC	58.74
8	23557079	सुरेन्द्र सिंह धौहान पिता श्री बाबूलाल जी, पता— मकान न. 10 वार्ड न. 1 तहसील गरोठ विकानिया मंदसीर-458880	OBC	58.74
9	23593767	दीपिका पिता अशोक कुमार छोपडा पता— ग्राम मालीपुरा तहसील भानपुरा जिला मन्दसीर म0प्र0	SC	57.72
10	23572244	रितु माली पिता श्री मोहन लाल माली पता— म.न.-322 महात्मा गांधी मार्ग भौरसा जिला देवास म0प्र0 455115	OBC	57.35
11	23557288	दीपिका वर्मा पिता श्री शिवनारायण वर्मा, पता— ग्राम+ पोस्ट पढाना तहसील तारंगपुर जिला राजगढ़ म0प्र0	SC	57.35
12	23557116	आकिब जावेद मसूरी पिता श्री रईस मोहम्मद पता— 708 वार्ड क. 11 लोगरगांव तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा म.प्र.	OBC	56.71
13	23581124	यामिनी वरकड़े, पिता श्री धोडवा वरकड़े, पता— वार्ड न. 8 सौसर तह सौसर जिला छिन्दवाड़ा म0प्र0	ST	55.98
14	23593905	अंजली पिता श्री राहेश कुमार शर्मा, पता—वार्ड न. 07 गाँवड़ी नालाजी राड सामगढ़ जिला मन्दसीर म0प्र0	EWS	55.98
15	23594371	सोनु नागर पिता नद्दलाल नागर पता—धाकड़ मोहल्ला, संधारा जिला मन्दसीर म0प्र0	OBC	55.9

१३१४१५१५२२२  
१३१४१५१५२२२


## उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग झापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायरेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थीयों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त विकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्पतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदमूर्त होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 विकित्सा एवं लोक स्वारक्ष्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवांये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि/चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त

१८/५/२०२३

विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिणामित अंशदायी पेशन योजना लागू होगी।

15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हे एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तां का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टक्कण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

  
- 27/04/2023

(डॉ जे पी चौरसिया)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृष्ठांक/2023/स्थापना/ 1807 — 30

दिनांक: 27/04/2023

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— विशेष सहायक, मानो मंत्री जी मंप्रो शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2— प्रमुख सचिव मंप्रो शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3— आयुक्त, संचालनालय आयुष मंप्रो भोपाल।
- 4— संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5— जिला कोषालय अधिकारी..... |
- 6— संबंधित श्री/ श्रीमती/ सुश्री ..... |
- 7— व्यक्तिगत नस्ती हेतु।



प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
शासकीय स्वशासी धनवंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन।**

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 1831 – ५१

दिनांक: २७ / ५ / 2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अहताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अन्यथीयों को महाविद्यालय में आयुर्वेद फार्मासिस्ट (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300–80500 (एल-६) एवं उस पर देय प्रतिलिपि मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद द्वारा पदस्थ किया जाता है :–

क्र०	रोल नं०	अन्यथी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/ संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23575007	ऋषभ जोशी पिता भास्कर जोशी, निवासी-७९ सती गेट, गोपाल मंदिर बार्ग उज्जैन म०प्र०	UR	55.43
2	23575112	सुनील कुमार सिरोही पिता जगदीश सिरोही, निवासी-४२६ एम.आई.जी. नालदा परिसर कंसर बाग रोड इन्दौर म०प्र०	UR	54.34
3	23575081	भारत सिंह निगवाल पिता श्री गमरिया निगवाल निवासी-पिपलीणडा फलिया पाटबर्डी, पतल्यादी पोर्ट बौरी तहसील जोबट जिला अलीराजपुर म०प्र० 457009	ST	47.82

**उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :–**

- यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक / सी.३-१३/२०१९/३/ एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-६ के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि रुपयेंड के रूप में देय होगी।
- उक्त नियुक्त अन्यथीयों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- आवेदन पत्र शुल्क रूपये ३/- शासकीय कोषालय में मद-०२१० चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-००८ अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।

१  
२२/०५/२०२३

08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके हारा दी गई समरत जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात शासन हारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, रथायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग हारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि/चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के झाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वैतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हें एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वैतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 हारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० जे पी चौरसिया)

प्रधानाधार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृष्ठमार्क / 2023 / स्थापना / १६३१ - ५।

दिनांक: २७ / ५ / 2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- १- विशेष सहायक, मानो मंत्री जी मोप्र० शासन आयुष विभाग भोपाल।
- २- प्रमुख सचिव मोप्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- ३- आयुक्त, संचालनालय आयुष मोप्र० भोपाल।
- ४- सभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, रवशासी कार्यकारिणी समिति।
- ५- जिला कोषालय अधिकारी.....।
- ६- संबंधित श्री/ श्रीमती/ सुश्री .....
- ७- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
शासकीय स्वशासी धनवंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन।**

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 1842 - 54

दिनांक: 21/4/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अहंताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में लैब टेक्नीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद द्वारा पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/ संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23585812	राजेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री भेललाल शर्मा निवासी- सतोष विहान के सामने नरसिंहपुरा रोड मंदसौर तह. जिला मंदसौर म0प्र0	UR	68.42
2	23594977	राजीव कुमार सिंहेजिया पिता श्री मोहन लाल सिंहेजिया निवासी- 20/5 अवतीपुरा अकपात मार्ग जिला उज्जैन म0प्र0-456006	SC	65.26
3	23594829	मयंक विश्वकर्मा पिता श्री गोवर्धन विश्वकर्मा निवासी-2330, 12देवता कॉलोनी भगत सिंह मार्ग जयसिंहपुरा जिला उज्जैन म0प्र0पिन-456006	OBC	65.26
4	23560962	मेघा नायक पिता श्री मनोहर लाल नायक निवासी-अयोध्या नगर वार्ड न.-18, वैगमगज जिला सायसेन म0प्र0	SC	65.26
5	23590755	राहुल श्री रतन सिंह निवासी ग्रामी पोस्ट सुखीसेवनिया विदिशा रोड भोपाल म0प्र0	OBC	65.2

**उपरोक्ता नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-**

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, रामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायर्पेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थीयों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश वरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस वरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- - शासकीय कोषालय में मद-0210 विकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समरत जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1985 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अध्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1981 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हे एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० जे पी चौरसिया)

प्रधानाधार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आयश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मानो मंत्री जी मंत्री प्रो शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव मंत्री प्रो शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष मंत्री प्रो भोपाल।
- 4- संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 6- संबंधित श्री/ श्रीमती/ सुश्री .....
- 7- व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
शासकीय स्वशासी धनवंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन।**

क्रमांक / 2023 / रथापना / १८५५ -६२

दिनांक २७ / ५ / 2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण सूची एवं आवश्यक अर्हताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थी को महाविद्यालय में क्षारसूत्र टेक्नीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-६) एवं उस पर देय प्रबलित महगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद द्वारा पदस्थ किया जाता है :—

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/ संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23566558	महेश राठोड़ पिता श्री मोहन लाल राठोर पता—दन्तोड़िया जिला रत्तलाम म030	UR	64.28

**उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :—**

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि रुपयोंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्ति अभ्यर्थीयों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जायेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये ३/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई रसमरत जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असाल नाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा मे उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि मे कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हे एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान मे त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ जे पी चौरसिया)  
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पु.क्रमांक/2023/स्थापना/ 1855 - 62

दिनांक: 27/ 4/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— विशेष सहायक, मानो मंत्री जी मोप्रो शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2— प्रमुख सचिव मोप्रो शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3— आयुक्त, संचालनालय आयुष मोप्रो भोपाल।
- 4— रानागायुक्त, सभाग... एवं अध्यक्ष, राजशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5— जिला कोषालय अधिकारी.....।

- 6— संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री .....  
7— व्यक्तिगत नस्ती हेतु।



प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
शासकीय स्वशासी धनवंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन।**

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 1863 - 72

दिनांक: 27/4/2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अहताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में पंचकर्म टेक्नीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 25300-80500 (एल-6) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्तो सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :—

क्र०	रोल न०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/ संवर्ग	कुल अक
1	2	3	4	5
1	23548255	सूरज शिंदे पिता श्री हीरालाल शिंदे पता— 244 सेक्टर ई राजनगर इंदौर म0प्र0	UR	58
2	23568565	पवन कुमार इमलियार पिता श्री गूमन सिंह इमलियार पता— 45 नवदुर्गानगर देवास म0प्र0	UR	55
3	23568494	रेखा शर्मा, पति श्री वैभव शर्मा निवासी— बी.एच.एल. कॉलोनी डोगर गाँव महू जिला इन्दौर म0प्र0	SC	54

**उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :—**

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक /सी.3-13/2019/3/ एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक—ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायर्पेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 विकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत विव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के विव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समर्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. सबधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा रिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशोदायी पेशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही दिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हे एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ जे पी चौरसिया)  
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी


पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/1863-72

दिनांक: 27 / 4 / 2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मानो मंत्री जी मोप्र० शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव मोप्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष मोप्र० भोपाल।

- 4— सभागायुक्त, सभाग ..... एवं अध्यक्ष, रवशासी कार्यकारिणी समिति ।  
5— जिला कोषालय अधिकारी ..... ।  
6— संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री ..... ।  
7— व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।



प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
शासकीय स्वशासी धनवंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन।**

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 18 73 — 86

दिनांक: 27 / 4 / 2023

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी घयन बोर्ड, नोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण सूची एवं आवश्यक अहंताओं/ शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में पंचकर्म सहायक (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 19500—62000 (एल-4) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद द्वारा पदस्थ किया जाता है :—

क्र०	रोल न०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/ सर्वग्र	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23568726	सरफराज खान पिता श्री अब्दुल गफार खान, निवासी— 5 टी.ए.आई.टी.स्कूल योजना क्रमांक 8 बधाना जिला नीमच	UR	60
2	23568571	सलोनी जैन पिता राजकुमार जैन, निवासी—1216, द्वारकापुरी इन्दौर म0प्र0	UR	54
3	23568479	राजेश पाटीदार पिता श्री शांतिलाल पाटीदार, निवासी—ग्राम मगराना तह.मल्हारगढ़ जिला गंदसौर म0प्र0	UR	53
4	23548225	मुरारीलाल भेसानियों पिता श्री रामगोपाल भेसानियों निवासी—51—बी शांति परिसर सुमन गार्डन के पास देवास रोड उज्जैन म0प्र0	UR	52
5	23568718	राजेश चौहान पिता श्री भोल्यासिंह चौहान निवासी—ग्राम इक्षकपुर खेडी थाना धरमपुरी तह.मनावर जिला धार म0प्र0	ST	50
6	23568710	दीपिका पिपलाद पिता श्री सीताराम भबेल निवासी— 9—शिवविहार कॉलोनी जिला धार म.प्र	SC	44

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :—

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्रमांक/सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक—ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायर्पेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्ति अभ्यर्थीयों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/ तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होंगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवाये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का येतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हे एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का येतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान में त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ० जे पी चौरसिया)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— विशेष सहायक, मानो मंत्री जी म0प्र0 शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2— प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3— आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
- 4— संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5— जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 6— संबंधित श्री/ श्रीमती/ सुश्री .....
- 7— व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी